संख्या- 40 /2019 / 231 /35-3-2019-1(20)/2018

प्रेषक,

आर.एन.एस.यादव,
विशेष सचिव।
उत्तर प्रदेश शासन।

सेंवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर ।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक 08 मार्च, 2019**

विषय: वित्तीय वर्ष 2018-19 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद-बलरामपुर हेतु केन्द्रीय लाईबेरी एवं रीडिंग रूम का निर्माण कार्य की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक शासनादेश संख्या-121/2018/1318/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 में आंशिक संशोधन ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-67, दिनांक27 फरवरी, 2019 में प्राप्त सूचना के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बलरामपुर में केन्द्रीय लाईबेरी एवं रीडिंग रूम के निर्माण कार्यहेतु निर्गत वित्तीय स्वीकृति से सम्बन्धित शासनादेश संख्या-121/2018/1318/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर, 2018 में एतदद्वारा संशोधित करते हुऐ विकासखण्ड-तुलसीपुर के स्थान पर विकासखण्ड-पचपेड़वा अंकित एवं पढ़ा जाय ।

2- उक्त सन्दर्भित शासनादेश संख्या-121/2018/1318/35-3-2018-1(20)/2018 दिनांक 29 दिसम्बर,2018 उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शासनादेश की शेष अन्य शर्ते यथावत लागू रहेगी ।

भवदीय,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव।

संख्या-40/ 2019 /231 (1)/ 35-3-2019-1(20)/2018 तददिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. **अपर मुख्य सचिव, वित्त आयुक्त,उ0प्र0 शासन ।**
2. **प्रमुख सचिव, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन ।**
3. **मण्डलायुक्त,देवीपाटन मण्डल।**
4. **महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी)इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा(प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।**
5- **निदेशक,वित्तीय एवं सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
6- **मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ ।**
7- **संयुक्त निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेवसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।**
8- **कोषाधिकारी,बलरामपुर।**
9- **वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।**
10- **उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल।**
11- **अर्थ एवं संख्याधिकारी,बलरामपुर ।**
12- **राज्य योजना आयोग-।**
13- **गार्ड फाइल ।**

आज्ञा से,

(आर.एन.एस.यादव)
विशेष सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in